

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—एफ.2 (क) (1)/(ए-262)/अलेसे-1/4415-23

दिनांक:— 02-08-2024

कार्यालय आदेश-127/2024-25

श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। (लिक नं. 4750) तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय उपकोषालय, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर द्वारा श्री रांका के कार्यालय पंचायत समिति, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) में कार्यरत अवधि के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीकृत अपराध संख्या 465/2014, अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी.) (डी.) सपठिन धारा 13 (2), 15 पी.सी.एक्ट 1988 एवं 193, 477ए. व 120बी. भारतीय दण्ड संहिता, के संबंध में इस निदेशालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति क्रमांक 840 दिनांक 04.03.2020 जारी कर कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र प.2 (157)कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। कार्यालय उपकोषालय, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निदेशालय के आदेश क्रमांक 841 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। को दिनांक 04.03.2020 से निलम्बित किया गया था।

वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 पार्ट दिनांक 26.07.2024 के क्रम में निलंबन से बहाल किए जाने के निर्णय की अनुपालना में श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाकर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय कोषालय, उदयपुर (शहर) किया जाता है।

उक्त बहाली आदेश माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यक्षीन हाथे तथा निलंबन काल का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत किया जाएगा।


(भूपेश माथुर)

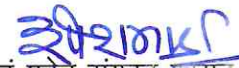
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ.2 (क) (1)/(ए-262)/अलेसे-1/4415-23

दिनांक:— 02-08-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2 (3) वित्त/राजस्व/2014 पार्ट दिनांक 26.07.2024 के संदर्भ में।
2. पुलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)।
4. उप निदेशक (जांच), कार्यालय हाजा को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 1912 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में।
5. उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, मुख्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय शाखा/जांच शाखा।


निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव